O/o E.D. (EITC)
CSPDCL Raipur
Receipt No. 6011
Date 31 JAN 2022

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि. में अपीलीय अधिकारी
श्री मनोज खरे, कार्यपालक निदेशक (मा.सं.)

अपील प्रकरण क्रमांक 10/2021 दिनांक 01.12.2021

श्री विकास सोनी — अपीलार्थी

विरूद्ध

श्री पंकज सिंह परमार — प्रतिअपीलार्थी
जनसूचना अधिकारी (होल्डिंग कंपनी)

—:: आदेश ::—

(दिनांक 29/01/2022 को पारित)

अपीलार्थी श्री विकास सोनी ने यह अपील जनसूचना अधिकारी, सह उप महाप्रबंधक (मा.सं.)–दो, के निर्णय प्राप्त नही होने से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रस्तुत की है।

(2) – प्रकरण से संबंधित तथ्य सारणीबद्ध रूप में निम्नानुसार है :–

(I)	सूचना का अधिकार के अंतर्गत अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी :–	(अ) छ.ग. बिजली विभाग में जूनियर इंजीनियर भर्ती विज्ञापन किस रोस्टर निकाला गया। (ब) छ.ग. बिजली विभाग के विज्ञापन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आरक्षण क्यों नही दिया गया है। (स) छ.ग. शासन संभाग स्तर सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों/संवर्ग के लिये मॉडल रोस्टर में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आरक्षण है, छ.ग. के अन्य विभाग सीधी भर्ती विज्ञापन में आरक्षण दिया गया है। बिजली विभाग के साईड में उम्र सीमा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आरक्षण दिखा रहा है। ऑनलाईन फार्म भरने वाले वेबसाइट में नही दिखा रहा है क्या कारण।
(II)	जनसूचना अधिकारी के निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थी का अपील तर्क :–	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित की गई समयावधि के समाप्त हो जाने के बावजूद जन सूचना अधिकारी द्वारा मुझे अब तक किसी प्रकार की सूचना नही दी गई है। अतः चाही गई जानकारी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
(iii)	अपील की सुनवाई तिथि :–	अपील की सुनवाई दिनांक 21.12.2021 को निर्धारित की गयी। उक्त तिथि को जनसूचना अधिकारी उपस्थित हुए, किन्तु अपीलार्थी अनुपस्थित रहें। अतः अपील में सुनवाई की कार्यवाही नही की सकी। अपील की सुनवाई पुनः दिनांक 11.01.2022 को निर्धारित की गयी। किन्तु कोरोना (कोविड–19) के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत निर्धारित तिथि 11.01.2022 को अपील सुनवाई स्थगित करते हुए अपील की पुनः सुनवाई दिनांक 24.01.2022 को निर्धारित की गयी। निर्धारित तिथि को जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी उपस्थित हुए। अपील सुनवाई के दौरान संबंधित अभिलेखों/दस्तावेजों का अवलोकन कर, जनसूचना अधिकारी एवं अपीलार्थी के तर्क सुने गए। परिणामतः प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।
(IV)	जनसूचना अधिकारी का पक्ष कथन :–	अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है :– बिन्दु क्रमांक (1) –छ.ग. स्टेट पॉवर कंपनियों में भर्ती हेतु लागू रोस्टर की प्रति 19 पृष्ठों में संलग्न है। बिन्दु क्रमांक (2) एवं (3) –लेख है कि भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली के ज्ञापन संख्या क्रमांक 01/07/2009 आई.आर. दिनांक 01.06.2009 तथा 01/18/2011 आई.आर. दिनांक 16.09.2011 के अनुसार "क्यो" का जवाब, किसी प्रकार का कारण, व्याख्या आदि देने की बाध्यता नही है। (छायाप्रति 02 पृष्ठों में संलग्न है) कार्यालयीन पत्र क्रमांक 2291

		दिनांक 22.11.2021 के माध्यम से निर्धारित समयावधि के भीतर अपीलार्थी को धारा 7(1) के अंतर्गत कुल 22 पृष्ठों की दस्तावेज हेतु रूपये 44/—मात्र का अभिलेख शुल्क का भुगतान किये जाने हेतु सूचित किया गया है। अपीलार्थी द्वारा धारा 7(1) के अंतर्गत निर्धारित अभिलेख शुल्क रूपये 44/—मात्र का भुगतान न कर, आवेदन दिनांक 22.11.2021 के माध्यम से अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किया गया है। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक निरंक के माध्यम से पत्र कमांक 2291 दिनांक 22.11.2021 के संदर्भ में निर्धारित अभिलेख शुल्क रूपये 44/—मात्र के स्थान पर रूपये 50/—मात्र का भुगतान भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प के माध्यम से किया गया है। यद्यपि प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलार्थी का अपील अभ्यावेदन विचाराधीन होने के कारण अपीलार्थी को जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध नही करायी गई है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा बिन्दु कमांक 02 एवं 03 में कनिष्ठ अभियंता के भर्ती में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आरक्षण के संबंध में जानकारी चाही गई है। तत्संबंध में लेख है कि छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज में विभिन्न पदों के भर्ती में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को आरक्षण दिये जाने के संबंध में कोई नीति—नियम लागू नही है। अतएव किसी प्रकार की जानकारी/सूचना दिया जाना संभव नही है।
(V)	अपील सुनवाई के दौरान अपीलार्थी का पुनः तर्क :—	छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र कमांक 1269 दिनांक 23.08.2014 के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार के सदस्य को शासकीय सेवा में प्राथमिकता देने के संबंध में शासन के विभिन्न विभागों को निर्देश जारी किया गया है, जो बिजली विभाग में भी लागू होता है कृपया अवगत करायें।
(VI)	जनसूचना अधिकारी का पुनः पक्ष :—	अपीलार्थी द्वारा छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिवार के सदस्य को शासकीय सेवा में प्राथमिकता देने के संबंध में जारी निर्णय की प्रति प्रस्तुत कर पॉवर कंपनीज की जानकारी चाही गई। तत्संबंध में अपीलार्थी को अवगत कराया गया कि छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर कंपनीज में विभिन्न पदों के भर्ती में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को आरक्षण दिये जाने के संबंध में कोई नीति—नियम लागू नही है। छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्णय में यह स्पष्ट उल्लेख है कि "यदि स्व0 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो उस परिवार के सदस्य को अन्य उम्मीदवारों की तुलना में शासकीय सेवा में इस शर्त पर प्राथमिकता दी जाए, यदि वह उस पद के लिए सभी अर्हताएं पूरी करता है और साक्षात्कार के बाद यह पाया जाता है कि उसका स्तर अन्य उम्मीदवारों के स्तर के समान है।" उक्त निर्णय की जानकारी छ.ग. सामान्य पुस्तक परिपत्र में भी उपलब्ध है।

(3) — प्रकरण में आये तथ्यों एवं तर्को की विवेचना से प्रतीत होता है कि जनसूचना अधिकारी द्वारा तालिका (IV) एवं (VI) में जो कार्यवाही एवं तर्क दिया गया है वह पूर्णतः विधिसंगत है।

इन सभी विवरणों से यह स्पष्ट है कि जन सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को चाही गई जानकारी उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से निर्धारित समयावधि के भीतर धारा 7(1) के अंतर्गत कुल 22 पृष्ठों की जानकारी हेतु कुल 44/—रूपये मात्र का अभिलेख शुल्क का भुगतान करने बाबत् सूचित किया गया है। अतएव जनसूचना अधिकारी द्वारा प्रकरण में निर्धारित समयावधि के भीतर यथोचित नियमानुसार कार्यवाही की गई है, जो स्वीकार योग्य है। अतः अपीलार्थी का यह कथन कि निर्धारित समयावधि के समाप्त हो जाने के बावजुद जन सूचना अधिकारी द्वारा उन्हे किसी प्रकार की सूचना नही दी गई है, यह तर्क स्वीकार योग्य नही है।

यह उल्लेख किया जाना प्रासंगिक होगा कि चूंकि अपीलार्थी द्वारा प्रकरण में अपील प्रस्तुत किया गया है। अतएव जन सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को अभिलेख शुल्क के भुगतान पश्चात् भी प्रकरण में अपील दर्ज होने के कारण जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गई है। जन सूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई बिन्दु कमांक 01 की जानकारी 19 पृष्ठों में उपलब्ध है। तथा बिन्दु कमांक 02 एवं 03 की जानकारी प्रश्नवाचक के रूप में है। अतः भारत सरकार, नई दिल्ली के ज्ञापन संख्या कमांक 01/07/2009 आई.आर. दिनांक 01.06.2009 तथा 01/18/2011 आई.आर. दिनांक 16.09.2011 के अनुसार "क्यो" का जवाब, किसी प्रकार का कारण, व्याख्या आदि देने की बाध्यता नही है, जो विधिसंगत है।

(4) – उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत चूंकि अपीलार्थी द्वारा निर्धारित अभिलेख शुल्क का भुगतान भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प के माध्यम से किया गया है। अतः अपील सुनवाई के दौरान जनसूचना अधिकारी को मौखिक निर्देशित किया गया कि अपीलार्थी को 22 पृष्ठों की जानकारी/दस्तावेज तुरंत उपलब्ध कराये। उक्त निर्देश के परिपालन में जनसूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी को सूचनाधिकार के अनुसार कुल 22 पृष्ठों की यथोचित जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध करायी गई।

अपीलार्थी द्वारा बिन्दु कमांक 02 एवं 03 में कनिष्ठ अभियंता के भर्ती में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आरक्षण के संबंध में जानकारी चाही गई है। अपीलार्थी को अवगत कराया गया कि छ0 ग0 स्टेट पॉवर कंपनीज में विभिन्न पदों के भर्ती में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को आरक्षण दिये जाने के संबंध में कोई नीति–नियम लागू नही है। अतएव किसी प्रकार की जानकारी/सूचना दिया जाना संभव नही है। तालिका कमांक (IV) एवं (VI) में दिये गये तर्को से अपीलार्थी द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

जहॉ तक अपील का प्रश्न है उल्लेखित तालिका कमांक (IV) एवं (VI) तथा पैरा 04 के दृष्टिगत प्रकरण में अन्य कोई कार्यवाही शेष नही है। तदनुसार दर्ज अपील प्रकरण (पंजी. कमांक 10/2021 दिनांक 01.12.2021) एतद् द्वारा नस्तीबद्ध किया जाता है।

(मनोज खरे)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700

क्रमांक :– 01–02/अपील प्रकरण –10/2021/ 05 रायपुर, दिनांक 29/01/2022

प्रतिलिपि :– (1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।

(2) श्री विकास सोनी, पिता राम खिलावन सोनी, वार्ड नबंर–14, सोनी पारा, हनुमान मंदिर के पास, सिंघौरी, बेमेतरा, तह. व जिला– बेमेतरा (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।

(3) कार्यपालक निदेशक (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर– उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
अटल नगर, नवा रायपुर

(मनोज खरे)
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700